

आवंटनादेश

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।

पटना, दिनांक:-

28-8-17

विषय:- (क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं (ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 2965 दिनांक- 24.5.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त, श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर (दिनांक 17.09.2017 को) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सेमिनार, सिम्पोजियम आदि का आयोजन अधिवेशन भवन, पटना में करने हेतु व्यय शीर्ष (क) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से ₹ 39,720/- (रूपये उनचालीस हजार सात सौ बीस) तथा (ख) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से ₹ 12,300/- (रूपये बारह हजार तीन सौ) मात्र अर्थात् (क)+(ख) के अन्तर्गत कुल ₹ 52,020/- (रूपये बावन हजार बीस) मात्र निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

5. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय ।

6. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

28/08/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2017 श्र0सं0-

64

पटना, दिनांक

28-8-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

28/08/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2017 श्र0सं0-

64

पटना, दिनांक

28-8-17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-5, श्रम पक्ष/बजट शाखा, प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2017 श्र0सं0-

64

पटना, दिनांक

28-8-17

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।